[2019] 6 एस. सी. आर 683

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड।

वी.

मन्नत जोहल और ओआरएस। ईटीसी। ईटीसी।

(2019 की सिविल अपील संख्या 4079-4081)

अप्रैल 23,2019

[अभय मनोहर सेप्रे और

दिनेश माहेश्वरी, जे. जे.]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-अपराधी वाहन, एक तेल टैंकर ने एक 'आर. एस. जे.' द्वारा संचालित कार में टक्कर मार दी, जिसमें उसकी पत्नी और बच्चे भी थे, जबकि विपरीत दिशा से आ रहे थे-'आर. एस. जे.' की मृत्यु हो गई-मृतक के माता-पिता और पत्नी और मृतक के नाबालिग बच्चों द्वारा दायर किए गए दावों में कहा गया है कि वह 38 वर्ष का था।

एक कंपनी में महाप्रबंधक (विपणन) के रूप में काम करते हुए, रु। का सकल वार्षिक वेतन प्राप्त कर रहा था। 3,21, 801.60 दुर्घटना से ठीक पहले भत्ते के साथ; और सहायक उपाध्यक्ष के रूप में पदोन्नत होने वाला था-न्यायाधिकरण ने दावेदारों को 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ मुआवजे के रूप में 71,000/- का आदेश दिया-उच्च न्यायालय ने मुआवजे को बढ़ाकर 95,000/- कर दिया और इसे कुल मिलाकर रु। 48,00,000 / - 7. 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय में कुछ मूलभूत त्रुटियाँ थीं और गुणक के मूल्यांकन के संबंध में कमियां-न्यायाधिकरण ने मृतक के अंतिम प्राप्त वेतन को लेने के बजाय, अपेक्षित पदोन्नति और वेतन संशोधन के बाद अपने बढ़े हुए अनुमानित वेतन पर आगे बढ़ने का विकल्प चुना, लेकिन आगे की भविष्य की संभावनाओं के लिए प्रावधान नहीं किया-न्यायाधिकरण द्वारा किया गया मूल्यांकन प्रणय सेठी मामले में सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है-उच्च न्यायालय द्वारा किया गया मूल्यांकन कमोबेश सिद्धांतों के अनुरूप है

प्रणय सेठी मामले में स्पष्ट किया गया-केवल संदिग्ध क्षेत्र यह है कि

उच्च न्यायालय ने मृतक के अंतिम वेतन पर भविष्य की संभावनाओं को केवल 40 प्रतिशत तक बढ़ाया और 50 प्रतिशत तक नहीं बढ़ाया, हालांकि उसे भविष्य में पदोन्नति और वेतन संशोधन की संभावनाओं के साथ एक व्यवस्थित रोजगार में दिखाया गया था-हालांकि, तथ्यों पर उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राशि में कोई संशोधन नहीं किया गया-द्वारा मूल्यांकन किए गए आर्थिक नुकसान उच्च न्यायालय उचित है और किसी भी हस्तक्षेप का आह्वान नहीं करता है

- उच्च न्यायालय ने उचित दर पर ब्याज घटक को संशोधित किया

7.5 % पी. ए.

इससे किसी भी दर पर अधिक ब्याज की अनुमति देने का कोई कारण नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि-के संदर्भ में दावेदारों द्वारा अंततः प्राप्य राशि

उच्च न्यायालय का निर्णय न्यायसंगत मुआवजे का बना हुआ है-हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं है।

क्षतिपूर्ति-दावेदारों द्वारा प्राप्त अनुग्रह राशि

मृतक के नियोक्ता से-यदि दावेदार द्वारा प्राप्त मुआवजे से कटौती की जानी है, तो बीमाकर्ता की याचिका

शशि शर्मा का मामला कि उक्त अनुग्रह राशि इस प्रकार प्राप्त हुई

दावेदारों को उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे से काट लिया जाए

न्यायालय आयोजितः शशि शर्मा में निर्णय पर लागू नहीं होगा

वर्तमान मामले के तथ्य-उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राशि में कोई कटौती नहीं।

का

मूल्यांकन

वाहन दुर्घटना

क्षतिपूर्ति

क्षतिपूर्ति-चर्चा के लिए कारक।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने पकड़नाः 1.1 उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया संशोधित पुरस्कार

यह मामला न्यायसंगत मुआवजे का है और इसके लिए कोई मामला नहीं है

इनमें से किसी भी अपील में हस्तक्षेप किया जाता है। सौदा करते समय

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत, प्रयास करना होगा दावेदारों को उचित मुआवजा देना सुनिश्चित करना।

[पैरा 7,8] [692-सी-डी]

1.2 वर्तमान जैसे मामले में, की मृत्यु से संबंधित

वाहन दुर्घटना पीड़ित, "न्यायसंगत" पुरस्कार देने की कोई भी प्रक्रिया मुआवजे में धन की ऐसी राशि का आकलन शामिल है।

ऐसी हानि जिसे निर्भरता की हानि के रूप में उचित रूप से लिया जा सकता है

पीड़ित की मृत्यु के कारण दावेदारों द्वारा पीड़ित। अन्य में शब्द, ऐसी प्रक्रिया, अपनी प्रकृति से, मूल्यांकन शामिल है

मौद्रिक योगदान जो दावेदारों को प्राप्त होने की संभावना थी

मृतक के कारण उसका असामयिक अंत नहीं हुआ था

दुर्घटना। इस तरह के मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए, जबकि कुछ

मृतक की उम्र, नौकरी और आय जैसे बुनियादी तथ्य

और उनकी निर्भरता की सीमा के साथ आश्रितों की संख्या,

अभिलेख पर साक्ष्य से उचित रूप से पता लगाया जा सकता है,

फिर भी, कई अनिश्चित कारक भी, प्रति बल, खेल में आते हैं, जैसे

विभिन्न के साथ मृतक की भविष्य की संभावनाएँ मानव जीवन से संबंधित अभेद्य।

प्रक्रिया के रूप में, अपने राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा। वी. मन्नत जौहल

बहुत ही प्रकृति में, अनुमान-कार्य का एक बड़ा सौदा शामिल है, इस न्यायालय ने वर्षों से कई सिद्धांतों को विकसित किया है और लागू किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जहां तक संभव हो, मूल्यांकन के तरीके समान रहें, मुआवजे की राशि में असमानता पर अंकुश लगाया जाए। [पैरा 9] [693-बी-ई] 1.3 न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय में मूल्यांकन के संबंध में कुछ बुनियादी त्रुटियां और कमियां थीं।

बहुगुणित। न्यायाधिकरण ने मृतक के अंतिम प्राप्त वेतन को लेने के बजाय, अपेक्षित पदोन्नति और वेतन के बाद उसके बढ़े हुए अनुमानित वेतन पर आगे बढ़ने का फैसला किया। पुनरीक्षण। हालाँकि, इसके बाद, न्यायाधिकरण ने भविष्य की किसी भी संभावना के लिए कोई प्रावधान नहीं किया। न्यायाधिकरण ने कर घटक के लिए भी कोई कटौती नहीं की। इसके अलावा, न्यायाधिकरण ने मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक तिहाई की कटौती की।

हालाँकि उनके पाँच आश्रित थे। फिर, न्यायाधिकरण ने 16 का गुणक लागू किया। जाहिरा तौर पर, न्यायाधिकरण द्वारा किए गए मूल्यांकन को प्रणय सेठी मामले में सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होने के कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता था। दूसरी ओर, उच्च न्यायालय ने मृतक के अंतिम प्राप्त वेतन का आंकड़ा लिया और आय-कर के लिए कटौती की। इसके बाद, उच्च न्यायालय ने भविष्य की संभावनाओं के लिए 40 प्रतिशत का प्रावधान किया और व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक चौथाई की कटौती की। इस तरह, उच्च न्यायालय आया

प्रणय सेठी। एकमात्र संदिग्ध क्षेत्र यह है कि उच्च न्यायालय भविष्य की संभावनाओं के लिए मृतक के अंतिम प्राप्त परिलब्धियों पर केवल 40 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान किया गया है और 50 प्रतिशत पर नहीं, हालांकि उसे भविष्य में [2019] 6 एस. सी. आर. के साथ एक व्यवस्थित रोजगार में दिखाया गया था।

पदोन्नति की संभावनाएँ और वेतन संशोधन भी। हालांकि, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर, उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राशि में किसी भी संशोधन पर विभिन्न कारकों के लिए विचार नहीं किया जाता है। [पैरा 11.1] [696-एफ-जी]

1.5 नियोक्ता द्वारा दावेदारों को रु. 3,21,801/- की राशि का भुगतान किया गया था, जो मृतक का एक साल का सकल वेतन था। शशि शर्मा के मामले में, उच्चतम न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा प्राप्त भुगतान पर विचार कर रही थी, जो हरियाणा मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा सहायता नियम, 2006 ('2006 के नियम') के नियम 5 के संदर्भ में था, जिसके तहत, एक सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर, परिवार को वेतन और अन्य के बराबर राशि वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त होती रहेगी।

तीन अन्य न्यायाधीशों द्वारा प्रतिष्ठित-उच्चतम न्यायालय की पीठ सेबेस्टियन लाकड़ा में। [पारस 12,12.1] [696-जी-एच; 697-ए-डी]

1.6 वर्तमान मामले में भी यह नहीं दिखाया गया है कि दावेदारों द्वारा प्राप्त अनुग्रह राशि किसी नियम के तहत थी या नहीं।

सेवा की और निरंतर सहायता की जाएगी, जैसा कि शशि शर्मा के मामले में हुआ था। उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राशि में कोई कटौती आवश्यक नहीं प्रतीत होती है। न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया था 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज, लेकिन इन मामलों में सामान्य रूप से परिकल्पित दर की तुलना में यह दर बहुत अधिक थी। उच्च न्यायालय ने अधिनिर्णय राशि में पर्याप्त वृद्धि करने के बाद ब्याज घटक को 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की उचित दर पर संशोधित किया और इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा अनुमत ब्याज से अधिक ब्याज की अनुमति देने का कोई कारण नहीं पाया गया। उच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में दावेदारों द्वारा अंततः प्राप्य राशि न्यायसंगत मुआवजे की बनी रहती है और हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है। [पैरा 12.2,13 और 14] [699-सी-डी; एफ-एच; 700-ए] राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड।

वी. मन्नत जोहा

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और

ओआरएस। 2017 ए. सी. जे. 2700 (एस. सी.)-इसके बाद।

रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम शशि

शर्मा और ओआरएस। 2016 ए. सी. जे. 2723 (एस. सी.)-लागू नहीं होता।

सरला वर्मा और ओआरएस। वी. दिल्ली परिवहन निगम और एन. आर. 2009 एसीजे 1298 (एससी); सेबेस्टियन लाकड़ा और

ओआरएस। वी. राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड और अन्य। 2019 ए. सी. जे. 34 (एस. सी.)-निर्दिष्ट।

मामला कानून संदर्भ

2017 एसीजे 2700 (एससी)

पीछा किया।

पै

रा 3

2009 एसीजे 1298 (एससी)

संदर्भित किया गया है

पै

रा 3

अप्रयोज्य रखा गया

2016 एसीजे 2723 (एससी)

पै

रा 6

2019 एसीजे 34 (एससी)

पै

रा 6

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 4079

4081 2019 से।

सर्वोच्च के 06.07.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

एफ. ए. ओ. सं. में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा का न्यायालय। 1136 , 143 और 2000 का 1435।

के साथ

सिविल अपील सं। 4082-4083 2019 से।

अभिषेक कुमार, सुधीर नागर, अरुण नागर, सुश्री तनुज बग्गा

अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दिनेश माहेश्वरी, जे.

1. में कानूनी प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के लिए आवेदन

दावेदारों की ओर से दायर याचिका की अनुमति है; नामित प्रतिनिधि दोनों याचिकाओं में प्रतिस्थापित होगा। डेला ने दावेदारों की ओर से दायर याचिका में माफी दे दी।

1.1 . दोनों याचिकाओं में अनुमति दी गई।

2. वाहनों के प्रवेश से संबंधित ये क्रॉस-अपीलें

उल्लंघन करने वाले वाहन [2019] 6 एस. सी. आर. के बीमाकर्ता द्वारा क्रमशः मुआवजे के दावे।

और दावेदारों द्वारा, 2000 के एफ. ए. ओ. संख्या 1136 (ओ. एंड. एम.) और संबंधित मामलों में पारित सामान्य निर्णय और आदेश दिनांक 06.07.2018 के खिलाफ निर्देशित किया जाता है, जिसके तहत पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय ने दावेदारों द्वारा दायर मुआवजे में वृद्धि के लिए अपील की अनुमति दी है और मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ द्वारा एम. ए. सी. टी. में दिए गए सामान्य निर्णय दिनांक 27.01.2000 को संशोधित किया है।

मामला सं। 80 1996 और 1996 के 84 जो क्रमशः द्वारा दायर किए गए थे

श्री राजपाल सिंह जौहल के माता-पिता और मृतक की पत्नी और बच्चों द्वारा।

3. विवादित निर्णय और दिनांक 06.07.2018 के आदेश में, उच्च न्यायालय ने दिए गए मुआवजे की राशि में ऊपर की ओर संशोधन किया है

न्यायाधिकरण द्वारा और रुपये की राशि के स्थान पर। 37,71,000 / - उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज के साथ एक करोड़ रुपये की राशि का फैसला सुनाया है। 48,00,000 / - दावा याचिका दायर करने की तारीख से वसूली की तारीख तक 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ। उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय बीमा में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के संदर्भ में अनिवार्य रूप से इस वृद्धि की अनुमति दी है।

कंपनी लिमिटेड v. प्रणय सेठी और अन्य। : 2017 एसीजे 2700 (एससी) और

सरला वर्मा और ओआरएस। वी. दिल्ली परिवहन निगम और एएनआर। : 2009 एसीजे 1298 (एससी)।

4. इन अपीलों में, एक ओर, उल्लंघन करने वाले वाहन के बीमाकर्ता ने इस प्रकार दिए गए मुआवजे की मात्रा पर सवाल उठाया है,

मूल रूप से इस आधार पर कि आर्थिक नुकसान का आकलन करते समय, दावेदार द्वारा मृतक के नियोक्ता से प्राप्त अनुग्रह राशि की कटौती की जानी चाहिए, जबकि दूसरी ओर, दावेदारों ने उच्च न्यायालय द्वारा ब्याज दर में कमी पर सवाल उठाया है।

4.1 . इसलिए, इन अपीलों में विचार के लिए मूल प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि क्या न्यायालय न्यायसंगत मुआवजे का है या किसी भी संशोधन के लिए वही माँग करता है?

5. प्रश्न के लिए अब तक प्रासंगिक मामले के पृष्ठभूमि पहलुओं पर संक्षेप में निम्नानुसार ध्यान दिया जा सकता हैः

5.1 . वाहन दुर्घटना बगरी (असम) पुलिस चौकी के पास लगभग 1 बजे आई. डी. 1 पर हुई, जब मृतक श्री राजपाल सिंह जौहल अपनी पत्नी और बच्चों को काजीरंगा से गुवाहाटी ले जा रहे थे। उल्लंघन करने वाला वाहन, एक तेल टैंकर है जिसका पंजीकरण सं। ए. एस.-01-9526, ने विपरीत दिशा से आ रही मृतक द्वारा चलाई जा रही कार को टक्कर मार दी।

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड। वी. मन्नत जोहल [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

5.2 . उपरोक्त दुर्घटना में लगी चोटों के कारण पीड़ित श्री राजपाल सिंह जौहल की मृत्यु के कारण, दो का दावा है मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन किए जाने लगे,

चंडीगढ़: मृतक के माता-पिता द्वारा 14.05.1996 पर एक, जो 1996 का MACT मामला संख्या 80 है; और मृतक की पत्नी और नाबालिग बच्चों द्वारा 22.05.1996 पर दूसरा, 1996 का MACT मामला संख्या 84 है। दावा आवेदनों में आरोपों का योग और सार यह था कि मृतक का उस दुर्घटना के लिए असामयिक अंत हो गया था जो विचाराधीन तेल टैंकर को लापरवाही से चलाने के कारण हुई थी। यह दावा किया गया कि मृतक 38 वर्ष का था; पंजाब वायरलेस सिस्टम लिमिटेड, मोहाली में महाप्रबंधक (विपणन) के रूप में काम कर रहा था; रु। 3,21, 801.60 दुर्घटना से ठीक पहले भत्ते के साथ; और उन्हें जनवरी 1996 में एसोसिएट उपाध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया जाना था, जिसके तहत उनका वार्षिक वेतन बढ़ाकर रु। 3,50,000 / - . मृतक पर अपनी निर्भरता का दावा करते हुए, दावेदारों यानी मृतक के माता-पिता, पत्नी और बच्चों ने उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक, मालिक और बीमाकर्ता के खिलाफ मुआवजे का दावा किया। कार्रवाई का कारण समान होने के कारण, इन दोनों दावा याचिकाओं को समेकित किया गया था, और दिनांक 27.01.2000 के सामान्य पुरस्कार के माध्यम से एक साथ परीक्षण और निर्णय लिया गया था।

5.3 . न्यायाधिकरण के समक्ष, उल्लंघन करने वाले वाहन का चालक एकतरफा रहा, जबकि इसके मालिक ने चालक की ओर से किसी भी लापरवाही से इनकार किया और

बल्कि आरोप लगाया कि दुर्घटना मृतक द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई। दूसरी ओर, उल्लंघन करने वाले वाहन के बीमाकर्ता ने दुर्घटना के तथ्य से इनकार किया और यह भी आरोप लगाया कि उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।

5.4 . दलीलों पर, न्यायाधिकरण ने 9 मुद्दों को तैयार किया। साक्ष्य लेने के बाद, न्यायाधिकरण प्रासंगिक निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ा

अपने विवादित पुरस्कार दिनांक 27.01.2000 में जारी करता है। न्यायाधिकरण ने दुर्घटना के तथ्य से संबंधित बुनियादी मुद्दों और गैर-आवेदकों के खिलाफ उसी की जिम्मेदारी का फैसला करते हुए कहा कि विचाराधीन दुर्घटना उल्लंघन करने वाले की लापरवाही और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई।

तेल का टैंकर। न्यायाधिकरण ने यह भी माना कि मृतक की पत्नी और बच्चे उस पर निर्भर थे और माता-पिता मामूली रूप से उस पर निर्भर थे। उस पर निर्भर।

रुपये पर निर्भरता का नुकसान। 2,34,000 / - और, 16 के गुणक को लागू करने के बाद, दावेदारों के आर्थिक नुकसान का आकलन रु। 37,44,000 / - . ट्रिब्यूनल ने आगे एक करोड़ रुपये का फैसला सुनाया। 25,000 / - मृतकों के परिवहन की दिशा में शरीर और रु। 2,000 / - अन्य खर्चों के लिए और इस प्रकार, अंत में रु। 37,71,000 / - दावेदारों के लिए। न्यायाधिकरण ने 1996 का दावा आवेदन संख्या 80 दाखिल करने की तारीख से 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज की भी अनुमति दी। न्यायाधिकरण ने रुपये की राशि की अनुमति दी। 1,00,000 / - प्रत्येक मृतक की माँ और पिता को यह देखते हुए कि वे 78 वर्ष के आयु वर्ग में थे और केवल मामूली रूप से निर्भर थे

मृतक; और शेष राशि को मृतक की पत्नी और बच्चों के बीच विभाजित किया।

5.6 . न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ, 1996 के एम. ए. सी. टी. मामला संख्या 84 में दावेदारों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की। पंजाब और हरियाणा सरकार ने मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग की, जबकि बीमा कंपनी ने फैसले के निष्कर्षों पर सवाल उठाते हुए और मुआवजे की राशि को कम करने की मांग करते हुए दो अलग-अलग अपीलों को प्राथमिकता दी।

5.7 . उच्च न्यायालय ने अपने दिनांकित 06.07.2018 के विवादित फैसले में, बीमाकर्ता की ओर से आग्रह किए गए तर्कों को खारिज कर दिया।

दुर्घटना के तथ्य और कारण के संबंध में और न्यायाधिकरण के निष्कर्षों की पुष्टि की। मुआवजे की मात्रा के संबंध में, उच्च न्यायालय ने प्रणय सेठी और सरला वर्मा (उपरोक्त) मामले में निर्णयों के संदर्भ में न्यायाधिकरण द्वारा दी गई राशि में वृद्धि करने के लिए आगे बढ़े। उच्च न्यायालय ने मृतक की अपेक्षित पदोन्नति और उसके बाद वेतन में संशोधन पर उसके संभावित बढ़े हुए परिलब्धि के संदर्भ में आय के नुकसान के आकलन के आधार को स्वीकार नहीं किया।

वर्ष 1996 में पैमाना। इसलिए, उच्च न्यायालय ने आधार वार्षिक राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड को लिया।

वी. मन्नत जोहल [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

रुपये में परिलब्धि। 3,21, 801.60 और, रुपये की कटौती करते हुए। 20,000 / - आय-कर की ओर, यह आंकड़ा रु। 3,00,000 / - . इसके बाद उच्च न्यायालय ने भविष्य की संभावनाओं के लिए 40 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान किया और फिर पांच आश्रितों को देखते हुए मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक-चौथाई की कटौती की। इस तरह, उच्च न्यायालय रुपये के गुणक पर पहुंचा। 3,15,000 / - और, 38 वर्ष की आयु में मृतक की आयु को देखते हुए 15 के गुणक को लागू करते समय, रु। 47,25,000 / - . उच्च न्यायालय ने आगे एक करोड़ रुपये का आदेश दिया। 40,000 / - संघ के नुकसान के लिए, रु। 15,000 / - अंतिम संस्कार के खर्च और रु। 15,000 / - संपत्ति के नुकसान की ओर। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने कुल मुआवजे का आकलन रु, 47,95,000/- किया और इसे रु। 48,00,000 / - . हालांकि, उच्च न्यायालय ने 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज की अनुमति देते हुए कहा कि उल्लंघन करने वाले वाहन से संबंधित उत्तरदाता मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। जहां तक विभाजन का संबंध है, उच्च न्यायालय ने रुपये की राशि की अनुमति दी।

26,00,000 / - मृतक की पत्नी को रु। 8,00,000 / - मृतक के बेटे को रु। 10,00,000 / - मृतक की बेटी को; और रु। 2,00,000 / - प्रत्येक मृतक की माँ और पिता को। 6. उच्च न्यायालय के विवादित फैसले पर जोर देते हुए, बीमाकर्ता के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम में प्रतिपादित सिद्धांतों पर विचार नहीं करने और उन्हें लागू नहीं करने में गलती की है। शशि शर्मा और अन्य। : 2016

कुल वार्षिक सकल वेतन, हालांकि ऐसे भत्तों में कटौती की जानी चाहिए थी। इसके विपरीत, दावेदारों के विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि उच्च न्यायालय के संशोधित निर्णय पर वृद्धि के लिए एक स्पष्ट मामला बनाया गया है, विशेष रूप से जब उच्च न्यायालय ने मृतक की वार्षिक आय का आंकड़ा रुपये से कम कर दिया है। 3,51,000 / - रु. तक। 3,21, 801.60 और इसे घटाकर रुपये कर दिया। 3,00,000 / - और फिर, न्यायाधिकरण द्वारा 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से स्वीकृत ब्याज दर को घटाकर 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया गया। विद्वान वकील के अनुसार, द्वारा अनुमत ब्याज की दर न्यायाधिकरण वर्ष 1995 में दुर्घटना के समय ऋण दरों के अनुरूप था और इसे कम नहीं किया जाना चाहिए था। विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया है कि भत्तों और लाभों के कुछ घटक [2019] 6 एस. सी. आर.

जैसा कि वार्षिक आय के निर्धारण के लिए विचार में लिया गया था, मृतक और दावेदारों के समग्र वेतन पैकेट का हिस्सा था।

आश्रित रहते हुए ऐसे भत्तों के लाभार्थी भी थे

मृतक पर। दावेदार के विद्वान वकील ने नियोक्ता द्वारा किए गए अनुग्रह भुगतान के संबंध में इस तर्क के साथ प्रस्तुतियों का विरोध किया है कि इस तरह की राशि को कुल मुआवजे से काटने की आवश्यकता नहीं है, जबकि सेबस्टियन लाकड़ा और अन्य में निर्णय पर भरोसा किया गया है। वी. राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड और अन्य। : 2019 एसीजे 34 (एससी)।

अपीलें करें। 8. यह तुच्छ बना हुआ है, और इस बात पर अधिक जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि मुआवजे के दावे में परिमाणीकरण के प्रश्न पर विचार करते समय

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 ('1988 का अधिनियम') के तहत, दावेदारों को उचित मुआवजा देना सुनिश्चित करने का प्रयास होना चाहिए। शशि शर्मा (ऊपर) में, इस न्यायालय ने इस संबंध में मूल बातों को दोहराया

1988 के अधिनियम के संदर्भ में "न्यायपूर्ण" अभिव्यक्ति का अर्थ निम्नलिखितः

" 17. ..... "क्षतिपूर्ति" शब्द को 1988 के अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। व्याख्यात्मक प्रक्रिया से यह समझा गया है कि इसका अर्थ दावेदारों को संभावित नुकसान के लिए प्रतिदान देना है।

मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप अपने परिवार के सदस्य की अचानक और असामयिक मृत्यु के कारण पीड़ित या पीड़ित होने की संभावना है।

के प्रावधानों के माध्यम से दो प्रमुख सिद्धांत चलते हैं

मुआवजे के निर्धारण के मामले में 1988 का मोटर वाहन अधिनियम। पहला, मुआवजे का उपाय न्यायसंगत और पर्याप्त होना चाहिए और दूसरा, मुआवजे के पुरस्कार के मामले में दावेदारों को कोई दोहरा लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। 1988 के अधिनियम की धारा 168 पहले सिद्धांत को स्पष्ट करती है। उस प्रावधान की उप-धारा (1) यह स्पष्ट करती है कि मुआवजे की राशि न्यायसंगत होनी चाहिए। "न्यायपूर्ण" शब्द का अर्थ है-निष्पक्ष, पर्याप्त और उचित। यह हो चुका है

यह लैटिन शब्द "जस्टस" से लिया गया है, जिसका अर्थ सही और निष्पक्ष है। हरियाणा राज्य के पैरा 7 में v. जसबिर कौर ने कहा है कि

अभिनिर्धारित किया कि अभिव्यक्ति "न्यायसंगत" इंगित करती है कि राशि को राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड होना चाहिए।

वी. मन्नत जोहल [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

न्यायसंगत, निष्पक्ष, उचित और मनमाना न हो। सरला वर्मा बनाम के पैरा 16 में। डी. टी. सी., इस न्यायालय ने कहा है कि मुआवजे का "एक उपहार, उदारता या लाभ का स्रोत बनने का इरादा नहीं है"। हालाँकि, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर कर सकता है कि उचित मुआवजा कितनी राशि होगी।

9. वाहन दुर्घटना पीड़ित की मृत्यु से संबंधित वर्तमान जैसे मामले में, "न्यायसंगत" मुआवजा देने की कोई भी प्रक्रिया

इसमें आर्थिक नुकसान की ऐसी राशि का आकलन शामिल है जिसे पीड़ित की मृत्यु के कारण दावेदारों को हुई निर्भरता के नुकसान के रूप में उचित रूप से लिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, इस तरह की प्रक्रिया में, अपनी प्रकृति से, मौद्रिक योगदान का मूल्यांकन शामिल होता है जो दावेदारों को मृतक से प्राप्त होने की संभावना थी यदि वह दुर्घटना के कारण असामयिक अंत का सामना नहीं करता था। इस तरह के मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए, जबकि कुछ बुनियादी तथ्य, जैसे कि मृतक की उम्र, नौकरी और आय और उनके आश्रितों की संख्या निर्भरता, रिकॉर्ड पर साक्ष्य से यथोचित रूप से पता लगाया जा सकता है, फिर भी, कई अनिश्चित कारक भी, प्रति बल, खेल में आते हैं, जैसे कि मृतक की भविष्य की संभावनाओं के साथ-साथ विभिन्न

मानव जीवन से संबंधित अभेद्य। प्रक्रिया के रूप में, इसके बहुत

इस न्यायालय ने पिछले कुछ वर्षों में कई सिद्धांतों को विकसित और लागू किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जहां तक संभव हो, मूल्यांकन के तरीके समान रहें और समान परिस्थितियों वाले मामलों में दिए जाने वाले मुआवजे की राशि में असमानता पर अंकुश लगाया जा सके। वर्तमान उद्देश्य के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अतीत के निर्णयों की बड़ी संख्या का अध्ययन करें, विशेष रूप से इस कारण से कि प्रणय सेठी (ऊपर) में बड़ी पीठ के निर्णय के साथ बुनियादी मानदंडों को समझाया और मानकीकृत किया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने सरला वर्मा (ऊपर) में दो न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय में निहित मापदंडों को आंशिक रूप से संशोधित किया है, और निम्नलिखित सिद्धांतों को निर्धारित किया हैः

" 59.3 . आय का निर्धारण करते समय, भविष्य के लिए मृतक की आय में वास्तविक वेतन का 50 प्रतिशत जोड़ा जाना।

संभावनाएँ, जहाँ मृतक के पास स्थायी नौकरी थी और उसकी आयु 40 वर्ष से कम थी, बनाई जानी चाहिए। यह जोड़ा गया

यदि मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष के बीच है तो यह 30 प्रतिशत होनी चाहिए। यदि मृतक की आयु 50 से 60 वर्ष के बीच थी, तो वृद्धि 15 प्रतिशत होनी चाहिए। वास्तविक वेतन मिलना चाहिए।

वास्तविक वेतन कम कर के रूप में पढ़ा जाए।

59.4 . यदि मृतक स्व-नियोजित था या एक निश्चित वेतन पर था, तो स्थापित आय का 40 प्रतिशत अतिरिक्त होना चाहिए।

वारंट हो जहाँ मृतक की आयु 40 वर्ष से कम थी। 25 प्रतिशत की वृद्धि जहां मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष के बीच थी और 10 प्रतिशत जहां मृतक की आयु 50 से 60 वर्ष के बीच थी, को गणना की आवश्यक विधि माना जाना चाहिए। स्थापित आय

आय का अर्थ है कर घटक को घटाना।

59.5 . गुणक राशि के निर्धारण के लिए, व्यक्तिगत और रहन-सहन के खर्चों के लिए कटौती, न्यायाधिकरणों और अदालतों को सरला वर्मा के पैरा 30 से 32 द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

यहाँ पहले भी पुनरुत्पादित किया गया है।

59.6 . गुणक का चयन सरला वर्मा की तालिका में दर्शाए गए अनुसार होगा-जिसे उस निर्णय के पैरा 42 के साथ पढ़ा जाएगा।

59.7 . मृतक की आयु आधार होनी चाहिए -

गुणक को लागू करना।

59.8 . पारंपरिक शीर्षों पर उचित आंकड़े, अर्थात् संपत्ति का नुकसान, संघ का नुकसान और अंतिम संस्कार का खर्च क्रमशः 15,000 रुपये, 40,000 रुपये और 15,000 रुपये होना चाहिए। उपर्युक्त राशियों में 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि की जानी चाहिए।

हर तीन साल में।

9.1 . उपरोक्त उद्धृत सिद्धांतों को पूरा करने के लिए, अनुच्छेद 30 से 32 के साथ-साथ अनुच्छेद 42 आर. एल. ए. वर्मा (उपरोक्त) पर भी ध्यान देना उचित होगा, जो निम्नानुसार हैः

" 30. हालांकि कुछ मामलों में कटौती की जानी चाहिए

व्यक्तिगत और रहने के खर्चों की गणना इस पर की जाती है -

त्रिलोक चंद्र में इंगित इकाइयों का आधार, सामान्य अभ्यास

मानकीकृत कटौती लागू करना है। विचार करने के बाद

इस न्यायालय के बाद के कई निर्णयों में हमारा विचार है कि जहां मृतक विवाहित था, वहां मृतक के व्यक्तिगत और जीवन यापन के खर्चों के लिए कटौती एक तिहाई (1/3) होनी चाहिए, जहां आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या 2 से 3, एक चौथाई (1/4) जहां आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या 4 से 6 और एक-पांचवां (1/5) जहां आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या 4 से 6 है।

आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या छह से अधिक है।

आई. ओ. एन. एल. बीमा कंपनी लिमिटेड। वी. मन्नत जोहल [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

31. जहाँ मृतक कुंवारा था और दावेदार

माता-पिता हैं, कटौती एक अलग सिद्धांत का पालन करती है।

स्नातक के संबंध में, आम तौर पर, 50 प्रतिशत व्यक्तिगत के रूप में काटा जाता है।

और रहने के खर्च, क्योंकि यह माना जाता है कि एक कुंवारा

स्वयं पर अधिक खर्च करने की प्रवृत्ति होगी। अन्यथा, वहाँ है

कम समय में उसकी शादी होने की संभावना भी,

माता-पिता और भाई-बहनों के लिए कौन सा योगदान है भारी कटौती की संभावना है। इसके अलावा, सबूत के अधीन

इसके विपरीत, पिता की अपनी आय और वसीयत होने की संभावना है।

आश्रित नहीं माना जाएगा और केवल माँ ही

आश्रित माना जाए। सबूतों के अभाव में इसके विपरीत, भाइयों और बहनों को नहीं माना जाएगा

आश्रित, क्योंकि वे या तो स्वतंत्र होंगे और कमाते हुए, या शादीशुदा, या पिता पर निर्भर रहें।

32. इस प्रकार भले ही मृतक के माता-पिता बचे हों और

मृतक की आय पर बड़ा और निर्भर, जैसा कि मामला जहाँ उसकी एक विधवा माँ है और बड़ी संख्या में

छोटी गैर-कमाने वाली बहनें या भाई, उनकी व्यक्तिगत और

जीवन यापन का खर्च एक-तिहाई और योगदान तक सीमित हो सकता है। परिवार को दो-तिहाई के रूप में लिया जाएगा।

*****

*****

*****

42. इसलिए हमारा मानना है कि उपयोग किए जाने वाले गुणक को होना चाहिए

जैसा कि तालिका के कॉलम (4) में उल्लेख किया गया है, जो इसके साथ शुरू होता है

18 का एक ऑपरेटिव गुणक (15 से 20 वर्ष के आयु समूहों के लिए)

और 21 से 25 वर्ष), हर पाँच वर्ष के लिए एक इकाई घटाकर,

अर्थात् 26 से 30 वर्षों के लिए एम-17,31 से 35 वर्षों के लिए एम-16, एम

15 36 से 40 वर्षों के लिए, एम-14 41 से 45 वर्षों के लिए, और एम-13 के लिए

46 50 वर्ष तक, फिर हर पाँच वर्ष के लिए दो इकाइयों तक घटाया जाता है,

अर्थात् 51 से 55 वर्ष के लिए एम-11,56 से 60 वर्ष के लिए एम-9, एम-7

61 से 65 वर्ष के लिए और एम-5 66 से 70 वर्ष के लिए।

10. वर्तमान मामले में उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, हम पाते हैं कि

न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय को कुछ मौलिक [2019] 6 एस. सी. आर. से नुकसान हुआ।

गुणक के मूल्यांकन के संबंध में त्रुटियाँ और कमियाँ। न्यायाधिकरण ने मृतक के अंतिम प्राप्त परिलब्धियों को लेने के बजाय, उनके बढ़े हुए अनुमानित परिलब्धियों पर आगे बढ़ने का फैसला किया।

अपेक्षित पदोन्नति और वेतन संशोधन। हालाँकि, इसके बाद, न्यायाधिकरण ने भविष्य की किसी भी संभावना के लिए कोई प्रावधान नहीं किया। न्यायाधिकरण ने कर घटक के लिए भी कोई कटौती नहीं की। इसके अलावा, न्यायाधिकरण ने मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक तिहाई की कटौती की, हालांकि उसके पांच आश्रित थे। फिर, न्यायाधिकरण ने 16 का गुणक लागू किया। जाहिरा तौर पर, न्यायाधिकरण द्वारा किया गया मूल्यांकन हो सकता है प्रणय सेठी (ऊपर) के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होने के कारण उन्हें स्वीकार नहीं किया गया है।

11. दूसरी ओर, उच्च न्यायालय ने मृतक के अंतिम प्राप्त वेतन का आंकड़ा लिया और इसके लिए कटौती की।

12. मृतक के नियोक्ता से दावेदारों द्वारा प्राप्त अनुग्रह राशि के प्रश्न पर, यह देखा जाता है कि रु। 3,21,801 / - नियोक्ता द्वारा दावेदारों को भुगतान किया जाता था, जो मृतक का एक वर्ष का सकल वेतन होता था। निर्णय पर भरोसा करते हुए शशि शर्मा, बीमाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि पूर्व राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड।

वी. मन्नत जोहल [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

दावेदारों द्वारा इस प्रकार प्राप्त अनुग्रह राशि की कटौती की जानी आवश्यक है। यह ध्यान देने योग्य है कि शशि शर्मा के मामले में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ हरियाणा अनुकंपा के नियम 5 के संदर्भ में मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा प्राप्त भुगतान पर विचार कर रही थी।

मृतक सरकारी कर्मचारी नियम, 2006 ('2006 के नियम') के आश्रितों को सहायता, जिसके तहत किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त होती रहेगी। मृतक कर्मचारी द्वारा नियमों में निर्दिष्ट अवधि के लिए अंतिम बार लिए गए वेतन और अन्य भत्तों के बराबर राशि और उक्त अवधि के बाद, परिवार पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा। परिवार को सरकारी आवास बनाए रखने का भी अधिकार होगा।

रुपये के भुगतान के अलावा एक वर्ष की अवधि। 25,000 / - अनुग्रह राशि 1 के रूप में।

12.1 . शशि शर्मा में उपरोक्त निर्णय को समझाया गया है।

और सेबेस्टियन लाकड़ा (ऊपर) मामले में इस न्यायालय की तीन अन्य न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निम्नलिखित में अलग किया गयाः

" 10. शशि शर्मा के मामले में, 2016 एसीजे 2723 (एससी), यह

अदालत कानूनी उत्तराधिकारियों को किए गए भुगतान पर विचार कर रही थी

1 1 शशि शर्मा के मामले में विचार में लिए गए 2006 के नियमों के नियम 5 निम्नानुसार थेः

" 5. वित्तीय सहायता के लिए मानदंड। - (1) किसी भी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर, कर्मचारी के परिवार को वित्तीय सहायता के रूप में वेतन और अन्य भत्तों के बराबर राशि प्राप्त होती रहेगी जो अंतिम बार मृतक कर्मचारी द्वारा सामान्य पाठ्यक्रम में बिना कोई विशिष्ट दावा किए प्राप्त की गई थी।

(क) कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए, यदि उसकी मृत्यु के समय कर्मचारी की आयु पैंतीस वर्ष नहीं हुई थी;

(ख) बारह वर्ष की अवधि के लिए या उस तारीख तक कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ होगा, जो भी कम हो, यदि -

(ग) सात वर्ष की अवधि के लिए या उस तारीख तक कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गया होगा, जो भी कम हो, यदि कर्मचारी चालीस-आठ वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। (2) परिवार सामान्य नियमों के अनुसार उस अवधि के बाद ही पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का पात्र होगा, जिसके दौरान उसे उपरोक्त वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। (3) एक मृतक सरकारी कर्मचारी का परिवार जो सरकारी आवास पर कब्जा कर रहा था, कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए सामान्य किराया/लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर निवास को बनाए रखना जारी रखेगा। (4) सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, कमाने वाले की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए मृतक कर्मचारी के परिवार को बीस-पाँच हजार रुपये की अनुग्रह सहायता प्रदान की जाएगी।

(5) सहायता की गणना के प्रयोजनों के लिए मकान किराया भत्ता भत्ते का हिस्सा नहीं होगा। "[2019] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों के लिए हरियाणा अनुकंपा सहायता नियम, 2006 (संक्षेप में उक्त नियम) के नियम 5 (1) के संदर्भ में मृतक के लिए। सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर उक्त नियमों के नियम 5 के तहत, परिवार को प्राप्त करना जारी रहेगा

वित्तीय सहायता के रूप में उस वेतन और अन्य भत्तों के बराबर राशि जो अंतिम बार मृतक कर्मचारी द्वारा नियमों में निर्धारित अवधि के लिए ली गई थी और उक्त अवधि के बाद परिवार पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार था। परिवार रुपये के भुगतान के अलावा एक वर्ष की अवधि के लिए सरकारी आवास रखने का भी हकदार था। 25,000 अनुग्रह राशि के रूप में। इस मामले में, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने हेलेन सी. रेबेलो के मामले 1999 एसीजे 10 (एससी) में निर्धारित सिद्धांतों को अपनाया, पेट्रीसिया जीन महाजन के मामले 2002 एसीजे 1441 (एससी) में इसका पालन किया, और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विमल कंवर के मामले 2013 एसीजे 1441 (एससी) में निर्णय, हेलेन सी. रेबेलो या पेट्रीसिया जीन महाजन मामलों (उपरोक्त) के विपरीत नहीं था। निम्नलिखित अवलोकन प्रासंगिक हैं:

" (12) हेलेन सी. रेबेलो के मामले में इस निर्णय में इस सिद्धांत की व्याख्या की गई कि सामान्य सिद्धांतों का अनुप्रयोग

सामान्य कानून के तहत नुकसान का अनुमान लगाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे की गणना के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, किसी भी स्रोत से 'आर्थिक लाभ' मोटर दुर्घटना के कारण हुई चोट या मृत्यु से संबंधित होना चाहिए। इस प्रकार लिया गया दृष्टिकोण 1939 के मोटर वाहन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का सही विश्लेषण और व्याख्या है, और इसे मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के संबंधित प्रावधानों पर उचित रूप से लागू होना चाहिए। यह सिद्धांत पेट्रीसिया जीन महाजन के मामले, 2002 ए. सी. जे. 1441 (एस. सी.) में दो न्यायाधीशों की पीठ के बाद के फैसले में फिर से कहा गया है, जिसमें बीमा कंपनी द्वारा मृतक के आश्रितों द्वारा सामाजिक सुरक्षा मुआवजे और 'जीवन' के माध्यम से प्राप्त राशि में कटौती करने के तर्क को खारिज कर दिया गया है।

बीमा पॉलिसी '।

हालांकि, इस योजना पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि एक सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण को लागू करना और एक न्यायपूर्ण राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड का निर्धारण करना।

वी. मन्नत जौहल

[दिनेश माहेश्वरी, जे।]

मोटर वाहन अधिनियम के तहत देय मुआवजे में उक्त के तहत प्राप्त राशि को बाहर करना उचित होगा। कर्मचारी द्वारा अंतिम बार तैयार किए गए वेतन और अन्य भत्तों के शीर्ष के तहत नियम। हम ध्यान दें कि सैद्धांतिक रूप से यह अदालत हेलेन सी. रेबेलो या पेट्रीसिया जीन महाजन (ऊपर) में निर्धारित प्रस्ताव से असहमत नहीं है, लेकिन एक न्यायसंगत मुआवजे पर पहुँचते हुए, उसने कटौती का आदेश दिया था।

वैधानिक नियमों के तहत प्राप्त वेतन।

12.2 . वर्तमान मामले में भी, यह नहीं दिखाया गया है कि क्या दावेदारों द्वारा प्राप्त अनुग्रह राशि किसी भी नियम के तहत थी

सेवा और निरंतर सहायता होगी, जैसा कि शशि शर्मा (उपरोक्त) में 2006 के नियमों के अनुसार किया गया था। एक समग्र विश्लेषण में और सेबेस्टियन लाकड़ा (ऊपर) में निर्णय के संदर्भ में, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि निर्णय शशि में है। शर्मा वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होंगे और उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राशि में कोई कटौती आवश्यक नहीं प्रतीत होती है।

12.3 . उपरोक्त के अलावा, जैसा कि देखा गया है, उच्च न्यायालय ने भविष्य की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए केवल

40 % हालाँकि मृतक एक स्थायी नौकरी में था और स्व-नियोजित या निश्चित वेतन पर नहीं था। यदि कोई दावा किया जाता है कि सहायता

दावेदारों द्वारा प्राप्त या मृतक द्वारा प्राप्त भत्तों के एक हिस्से को कुछ कटौती करने के लिए ध्यान में रखने की आवश्यकता है, भविष्य की संभावनाओं के माध्यम से 50 प्रतिशत की वृद्धि प्रभावी रूप से ऐसी किसी भी प्रस्तावित कटौती को स्थापित करेगी। दूसरे शब्दों में, अंतिम विश्लेषण में, उच्च न्यायालय द्वारा आंकी गई आर्थिक हानि की राशि उचित बनी हुई है और इसे अत्यधिक या बहुत कम नहीं कहा जा सकता है ताकि किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। 13. उपरोक्त विशेषताएँ ब्याज दर के संबंध में दावेदारों की ओर से आग्रह की गई दलीलों पर समान रूप से लागू होती हैं। न्यायाधिकरण

12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया गया था, लेकिन इन मामलों में सामान्य रूप से परिकल्पित दर की तुलना में यह दर बहुत अधिक थी। उच्च न्यायालय ने अधिनिर्णय राशि में पर्याप्त वृद्धि करने के बाद ब्याज घटक को 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की उचित दर पर संशोधित किया और हमें इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा अनुमत ब्याज से अधिक ब्याज की अनुमति देने का कोई कारण नहीं मिला।

14. उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह है कि हमारे विचार में,

ए.

उच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में दावेदारों द्वारा अंततः प्राप्य राशि न्यायसंगत मुआवजे की बनी रहती है और हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है।

15. तदनुसार, ये दोनों अपील विफल हो जाती हैं और खारिज कर दी जाती हैं।

दिव्या पांडे